

बैंक ऑफ इंडिया **BOI** 

Date 20-9 2016

(Depositing Branch)

Please Credit*	S	C	O	C	R	L	D	M	S	F
	B	D	D	C	D	N	C	C	R	R

Name: \_\_\_\_\_

Name: मिना पाल कामी, पुनर्वास-वि. मन्थली, ज.

A/E. N.

A/c. No. 484010100011221

~~Details of Cheques (For Cash deposit please enter total only)~~

Bank	Cheque No.	Amount
	1000 X 6	6000
	500 X 28	14000
	TOTAL	20000

Ruppes

Rupees अष्टा एश्वर शत

Only

Receipt By

Cheque(s) Subject to Realisation

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

श्रम अधीक्षक का कार्यालय समस्तीपुर

संख्या 114

दिनांक 23.08.16

जो मं,

श्री राजेन्द्र मोहरी पिता सुप्रित मोहरी  
नियोजक मे. मोहरी मिहान  
कलक रौड- हसनपुर - मोह + धाना - हसनपुर - जिला समस्तीपुर  
रामप्र. पता - वीरपुर मोह + धाना - हसनपुर जिला - समस्तीपुर।

विषय :-

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के साथ पठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका, एम. सी. मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार में दिनांक 10.12.1996 में दिये निर्णयानुसार प्रतिबंधित नियोजनों में बाल श्रमिक पाये जाने के फलस्वरूप रु0 20,000/- (रुपये बीस हजार) बतौर मुआवजा जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करने के संबंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.08.2016 को 2-25 दफा - 57 2/27 बजे प्रत्यक्ष/अपराहन में आपके प्रतिष्ठान/आवास का निरीक्षण बाल श्रम (प्र0 एवं वि0) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किया गया। निरीक्षण के समय आपके प्रतिष्ठान/आवास में बाल श्रमिक श्री प्रदीप  
राज मोहरी निवासी ग्राम वीरपुर मोह + धाना - हसनपुर जिला - समस्तीपुर  
जो 10.04.14 नियोजित पाया गया 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे को नियोजित किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 24 एवं बाल श्रम (प्र0 एवं वि0) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है।

रिट याचिका संख्या-465/1986 एम. सी. मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार में दिनांक- 10.12.1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दोषी नियोजक को प्रति बाल श्रमिक रुपये 20,000/- बतौर मुआवजा जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करना है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 20,000/- रुपये जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष समस्तीपुर के पदनाम से देय बैंक ड्राफ्ट / बैंक चेक दिनांक 23/8/2016 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें।

निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निदेशित मुआवजा राशि जमा नहीं किये जाने पर उक्त राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकभरी ऐक्ट के अन्तर्गत सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जायेगी।

इसे ताकीद जाने।

23/8/16

उप-श्रमायुक्त/सहायक-श्रमायुक्त/  
श्रम-अधीक्षक/श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं